



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टी.एम. सरणी (बेबोर्न रोड), कोलकाता-700001

वेबसाइट: www.teaboard.gov.in

फोन नं+913322371161

संदर्भ सं6(29)/एलसी/2014/जोरहाट/पार्ट-1/613

दिनांक. 04.08.2023

शुद्धिपत्र

विषय: संशोधित जोरहाट नीलामी नियम

कृपया संशोधित जोरहाट नीलामी नियमों के संबंध में इस कार्यालय अधिसूचनाक्रमांक 6(29)/एलसी/2014/जोरहाट/भाग-1/584 दिनांक 20 जुलाई, 2023 देखें। इस संबंध में, संशोधित जोरहाट नीलामी नियम के धारा क्र. '49' को कृपया इस रूप में पढ़ा जाए:

- क. यदि क्रेता भुगतान की नियत तिथि पर चाय या उसके किसी अंश का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भुगतान न किए गए लॉट का सौदा रद्द घोषित कर दिया जाएगा और सामान अगली उपलब्ध नीलामी में फिर से बेचा जा सकता है। इस तरह के पुनर्विक्रय से होने वाली कोई भी हानि, नियत तारीख से लागू दर (चालू वर्ष के लिए प्रचलित एसबीआई सावधि जमा दर) पर गणना की जाने वाली ब्याज और किए गए सभी शुल्कों के साथ, मूल के मुआवजे के रूप में डिफॉल्ट क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा। नीलामी बिक्री की मूल शीघ्र तिथि से 30 दिनों के भीतर नीलामी आयोजक के माध्यम से विक्रेता। ऐसे पुनर्विक्रय से लाभ होने की स्थिति में, इसका भुगतान मूल विक्रेता को किया जाएगा। चूककर्ता क्रेता ऐसे किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जो ऐसे पुनर्विक्रय से प्राप्त हो सकता है।
- ख. डिफॉल्ट क्रेता को बाद की नीलामी बिक्री में भाग लेने से तब तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जब तक कि नीलामी आयोजक के माध्यम से मूल विक्रेता को पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- ग. यदि क्रेता नीलामी बिक्री के मूल संकेत की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे के मूल्य के भुगतान में चूक करता है या बार-बार चूक करता है, तो नीलामी आयोजक खरीदार के पूरे विवरण के साथ टी बोर्ड को 48 घंटे में सूचित करेगा। टी बोर्ड के विवेक के अनुसार डिफॉल्ट की गंभीरता/परिमाण के आधार पर सभी नीलामी केंद्रों में खरीदार के रूप में उनकी सदस्यता 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दी जाएगी या पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी।
- घ. यदि प्रतिबंधित खरीदार 6 महीने के निलंबन की निर्धारित अवधि से पहले बहाल होने का इरादा रखता है, तो क्रेता को पिछली बार रद्द किए गए प्रत्येक लॉट के लिए नॉकडाउन मूल्य के 30% के बराबर जुर्माना देना होगा।
- ङ. क्रेता से वसूला गया जुर्माना नीलामी आयोजक के माध्यम से पीड़ित विक्रेता को भुगतान किया जाएगा।

20 जुलाई, 2023 के पहले के जोरहाट नीलामी नियमों के अन्य खंड अपरिवर्तित रहेंगे।

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1. कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कन्नूर
2. कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी
3. उपनिदेशक चाय विकास, सिलिगुड़ी
4. सहायक निदेशक चाय विकास, जलपाईगुड़ी
5. प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर